फा.सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोक नायक भवन नई दिल्ली-110003

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 12 मई, 2009

कार्यालय ज्ञापन

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए.) जिसे दिनांक 11.12.2008 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा स्पष्ट किया गया था, में विहित अनुदेशों के अनुसार वे सरकारी कर्मचारी जो 33 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात 1.1.2006 से 1.09.2008 के बीच की अवधि में सेवा निवृत्त हुए थे, वे पूरी पेंशन(अर्थात अंतिम आहरित वेतन की परिलब्धियों का 50%) अथवा अंतिम 10 माह के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों का 50%, इनमें से जो भी सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हो, के पात्र होंगे और ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जो 2.9.2008 से पहले 33 वर्ष से कम अवधि की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए थे, वे अपनी वास्तविक अर्हक सेवा के आधार पर पूरी पेंशन को अनुपातिक रूप से आहरित करते रहेंगे ।

2. इस विभाग में इस आशय का उल्लेख करते हुए काफी संख्या में अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि उपर्युक्त प्रावधान उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित कानून के अनुरूप नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं । इन अभ्यावेदनों में यह सुझाव दिया गया है कि 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर पूरी पेंशन के भुगतान संबंधी प्रावधान को 2.9.2008 से पहले सेवा निवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए ।

3. इन अभ्यावेदनों/संदर्भों की वित्त मंत्रालयों और विधि मंत्रालयों से परामर्श करके जांच-पडताल की गई है । इस बारे में जारी अनुदेश/स्पष्टीकरण, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार के निर्णय के अनुरूप हैं । सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों को स्वीकार करके इन्हें विभिन्न तारीखों से लागू करने का एक नीति-गत निर्णय लिया । सरकार ने पेंशन भोगियों की एकल एक जैसी श्रेणी को दो समूहों में विभाजित किए बिना और उन्हें अलग-अलग तरजीह दिए बिना 2.9.2008 से पेंशन के बारे में उपर्युक्त सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया । उपर्युक्त के मद्देनजर और माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय के परिपेक्ष्य में किसी नई पेंशन/सेवा निवृत्ति योजना के लिए एक निर्णायक तिथि का निर्धारण करने अथवा किसी मौजूदा योजना को समाप्त करने के लिए नियोक्ता को अनुमति देने के बारे में उपर्युक्त पैरा । में लिया गया सरकार का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित कानून के अनुरूप है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है ।

4. उपर्युक्त के मद्देनजर इस बारे में पहले से ही जारी अनुदेशों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

5. इस विभाग में उपर्युक्त मुद्दे के संबंध में प्राप्त सभी संदर्भों/अभ्यावेदनों का तद्नुसार निपटान किया जाता है ।

(एम.पी.सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
टेलीफैक्स सं. 24624802

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी पेंशन भोगी संघ

कृपया देखें : http://pensionersportal.gov.in